

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

No. 205]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 2006/वैशाख 26, 1928

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 2006/VAISAKHA 26, 1928

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2006

सा.का.नि. 286(अ).— राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत यथा अपेक्षित, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः—

1. लघु शीर्ष तथा प्रवृत्त होने की तिथि - (1) ये नियमावली राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग (वार्षिक लेखा विवरण) नियमावली, 2006 हैं। (2) ये नियम राजकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
2. परिभाषाएं - जबतक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में --
(क) "अधिनियम" का अर्थ है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2);
(ख) "लेखा परीक्षा अधिकारी" का आशय है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा आयोग के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने हेतु उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति;

(1)

- (ग) “अध्यक्ष” का आशय है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग के अध्यक्ष।
- (घ) “आयोग” का आशय है धारा-3 के तहत गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग;
- (ङ.) “फॉर्म” का आशय है इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र;
- (च) “सचिव” का आशय है धारा-6 की उप-धारा (1) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी;
- (छ) “धारा” का आशय है अधिनियम की धारा।
- (ज) उन शब्दों एवं अभिप्रायों, जिनका प्रयोग तो इस नियमावली में हुआ हो परन्तु परिभाषित न हों और इस अधिनियम में इन्हें परिभाषित किया गया हो, के अर्थ क्रमशः वही होंगे जो अधिनियम में नियत हों।

3. आयोग के लेखे - (1) वित्त वर्ष 2004-05 से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु आयोग के लेखाओं का वार्षिक विवरण सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा।
- (2) आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित लेखाओं का वार्षिक ब्यौरा सचिव द्वारा केन्द्र सरकार को उस तिथि को प्रस्तुत किया जाएगा जो केन्द्र सरकार निर्धारित करेगी।
- (3) सचिव लेखाओं के अनुरक्षण वित्तीय विवरणों के संकलन संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आयोग के लेखाओं की लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित वाउचर तथा आयोग के अन्य दस्तावेज एवं कागजात उन्हें उपलब्ध कराए जाएं।
- (4) आयोग के प्रारंभिक लेखाओं सहित लेखाओं का रखरखाव प्रपत्र ‘क’ तथा इसकी अनुसूचियों में किया जाएगा।
- (5) वार्षिक लेखा विवरणों पर सचिव महोदय हस्ताक्षर करके उन्हें अधिप्रमाणित करेंगे।
- (6) वार्षिक लेखा विवरण लेखा परीक्षा अधिकारी को उस वर्ष, जिससे लेखे संबंधित हैं, से अगले वर्ष के 30 जून तक अथवा उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा और लेखा परीक्षा अधिकारी आयोग के लेखाओं की लेखा-परीक्षा करके उसकी रिपोर्ट भेजेंगे।
- (7) लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर आयोग उसमें इंगित कमियों अथवा अनियमितताओं को दूर करेगा और इस पर की गई कार्रवाई के बारे में केन्द्र सरकार तथा लेखा-परीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा।

[फा. सं. 7-12/2005-एम.सी.]

सुनिल कुमार, संयुक्त सचिव

फार्म-क
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग
आयोग के लेखे
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग के दिनांक 31 मार्च 200..... को
समाप्त वर्ष का प्राप्ति और भुगतान लेखा(1)

प्राप्ति	योजना गत	योजनेत्तर	कुल राशि (रूपए)	भुगतान	योजना	योजनेत्तर	कुल राशि (रूपए)
1.		प्रारंभिक शेष		1.	आवर्ती		
	(i)	रोकड़ शेष					
	(ii)	बैंक में रोकड़ शेष			क	स्थापना प्रभार	
					1.	वेतन(आयोग के अध्यक्ष और सदस्य	
					2.	वेतन(अधिकारी और स्थापना)	
2.	से सहायता अनुदान	(i) गृह मंत्रालय (विनिर्दिष्ट किया जाना है) आवर्ती अनावर्ती			3.	व्यावसायिकों और अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	
	(ii)	अन्य स्रोत आवर्ती अनावर्ती			4.	यात्रा खर्च (i) विदेश यात्रा (ii) देशज यात्रा	
3.	आयोग की प्राप्तियां				5.	समयोपरि भत्ते	
	1.	आवर्ती			6.	चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं	
	(i)	निवेश			7.	अन्य स्थापना प्रभार	
	(क)	नकदीकृत निवेश का अंकित मूल्य			ख	प्रशासनिक और अन्य खर्च	
	(ख)	निवेश पर ब्याज			1.	सम्मेलन/सेमिनार प्रभार	
	(ii)	राजस्व प्राप्तियां			2.	अन्य संगठनों को सहायता/अनुदान	
	(क)	बैंक शेष पर ब्याज प्राप्तियां			3.	टेलीफोन और फैक्स खर्च	
	(ख)	कर्मचारियों के अग्रिम पर ब्याज प्राप्तियां			4.	किराया, दर और कर	
	(ग)	प्रकाशनों की बिक्री			5.	समाचार पत्र/पत्रिकाएं	
	(घ)	आयोग द्वारा ली गई फीस			6.	विज्ञापन और प्रचार	
	(ड.)	चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल लाभार्थियों का अंशदान			7.	डाक और तार	
	(च)	विविध प्राप्तियां			8.	वर्दियां	

(iii)	ऋण/जमा प्राप्तियां	9.	स्टेशनरी और मुद्रण
(क)	कर्मचारियों के अग्रिमों की वसूली	(i)	स्टेशनरी
1.	भवन निर्माण अग्रिम	(ii)	मुद्रण
2.	मोटरकार/पर्सनल कम्प्यूटर अग्रिम	10.	प्रकाशन
3.	स्कूटर/मोटर साइकिल अग्रिम	11.	विविध और अन्य खर्च
4.	अन्य अग्रिम(विनिर्दिष्ट किया जाना है)	12.	बिजली-पानी प्रभार
(ख)	आकस्मिक अग्रिम की वसूली	13.	मरम्मत और अनुरक्षण
1.	सी.पी.डब्ल्यू.डी. को अग्रिम	(i)	भवन
2.	डी.जी.एस.एण्ड डी. को अग्रिम	(ii)	मशीनरी और उपस्कर
3.	आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	(ii)	फर्नीचर और फिक्सर
4.	अन्य अग्रिम	(iv)	वाहन
(ग)	अन्य जमा राशियां	14.	पैट्रोल और ल्यूब्रिकेण्ट्स
1.	प्रतिभूति जमा	15.	अतिथि खर्च
2.	प्रारम्भिक धन जमा	16.	लेखा परीक्षा शुल्क
3.	कोई अन्य जमा (विनिर्दिष्ट किया जाना है)	17.	विधिक प्रभार
IV	प्रेषण जमा	(ग)	निवेश
(क)	प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	(घ)	कर्मचारियों को अग्रिम
(ख)	लाइसेंस शुल्क	1.	भवन निर्माण अग्रिम
(ग)	आयकर	2.	मोटरकार/पर्सनल कम्प्यूटर अग्रिम
(घ)	बिक्री कर	3.	स्कूटर/मोटर साइकिल अग्रिम
(ड.)	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य स्कीम	4.	अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट किया जाना है)
(च)	डाक जीवन बीमा	(ड.)	आकस्मिक अग्रिम
(छ)	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए समूह बीमा स्कीम	1	सी.पी.डब्ल्यू.डी. को अग्रिम
II.	अनावर्ती)मदें विनिर्दिष्ट की जानी है)	2	डी.जी.एस. एण्ड डी. को अग्रिम
		3	आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम

- 4 अन्य अग्रिम
(विनिर्दिष्ट किया जाना है)
- च. प्राप्तियां
- 1 प्रतिभूति जमा
- 2 प्रारम्भिक धन जमा
- (छ) अन्य समायोजन(प्रेषण)
- 1 प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त
कर्मचारियों से वसूली
- 2 लाइसेंस फीस
- 3 आयकर
- 4 बिक्री कर
- 5 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य
स्कीम
- 6 डाक जीवन बीमा
- 7 सी.जी.ई.आई.एस.
- 8 भवन निर्माण अग्रिम
- 9 मोटरकार/कम्प्यूटर अग्रिम
- 10 स्कूटर/मोटर साइकिल
अग्रिम
- 11 अन्य वसूली
(विनिर्दिष्ट की जानी वाली
है)
- ज. अंशदान
- 1 पेंशन और ग्रेच्युटी
- 2 अवकाश वेतन और पेंशन
अंशदान
1. अन्य अंशदान
(विनिर्दिष्ट किया जाना है)
- I. अनावर्ती
- 1 जमीन
- 2 भवन
- 3 फर्नीचर और फिक्सर
- 4 मशीनरी और उपस्कर
- 5 मोटर वाहन
- 6 पुस्तकें और प्रकाशन
- अंतशेष
1. रोकड़ शेष
2. बैंक में रोकड़ शेष

	कुल योग				
--	---------	--	--	--	--

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग के दिनांक 31 मार्च 200..... को समाप्त अवधि के लिए भविष्य निधि बीमा स्कीम इत्यादि की प्राप्तियों तथा भुगतान से सम्बन्धित लेखे(II) ।

प्राप्ति	राशि (रूपए)	भुगतान	राशि (रूपए)
एन.सी.एम.ई.आई. भविष्य निधि		क.	एन.सी.एम.ई.आई. भविष्य निधि
(क) प्रारम्भिक शेष			(क) अग्रिम/निकाली गई राशि/अंतिम भुगतान
(ख) अंशदान			(ख) शेष निवेश
(ग) अग्रिम की वसूली			(ग) अंतशेष- बैंक शेष
(घ) ब्याज		ख.	एन.सी.एम.ई.आई. कर्मचारी बीमा स्कीम फंड
एन.सी.एम.ई.आई. कर्मचारी समूह बीमा निधि			(क) इंश्यूरेंस कवर के लिए भुगतान
(क) प्रारम्भिक शेष			(ख) बचत निधि का भुगतान
(ख) बीमा निधि			(ग) निवेश
(ग) बचत निधि			(घ) अंतशेष - बैंक शेष
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ निधि		ग.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ निधि
(क) प्रारम्भिक शेष			(क) प्रारम्भिक शेष
(ख) पेंशन निधि			(ख) पेंशन निधि
(ग) अन्य सेवानिवृत्ति लाभ निधि			(ग) अन्य सेवानिवृत्ति लाभ निधि
			(घ) अंतशेष
कुल			

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग के मार्च 200..... को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखे

व्यय	योजनागत	योजनेतर	कुल राशि	आय	योज नागत	योजनेतर	कुल राशि
1. क.		आवर्ती स्थापना प्रभार		क.		से प्राप्त सहायता अनुदान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग आवर्ती अनावर्ती	
1.		वेतन(आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के)			(i)	अन्य स्रोत (विनिर्दिष्ट किया जाना है) आवर्ती अनावर्ती	
2.		वेतन(अधिकारी और स्थापना		ख.		से प्राप्त की गई प्राप्तियां	
3.		व्यावसायिक और अन्य सेवाओं के लिए भुगतान			(i)	निवेश पर ब्याज	
4.		यात्रा खर्च (i) विदेश यात्रा (ii) देशज यात्रा			(ii)	बैंक शेष पर ब्याज	
5.		समयोपरि भत्ते			(iii)	कर्मचारियों के अग्रिम पर ब्याज	
6.		चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं		ग.		अन्य प्राप्तियां	
7.		अन्य स्थापना प्रभार			(i)	कोई शुल्क यदि आयोग द्वारा लिया जाए	
ख.		<u>प्रशासनिक और अन्य खर्च</u>			(ii)	समाचारपत्र प्रकाशनों की बिक्री	
1.		सेमिनार/सम्मेलन			(iii)	विविध प्राप्तियां	
2.		अन्य संगठनों को सहायता/अनुदान			(iv)	चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं	
3.		टेलीफोन और फैक्स खर्च				आय से अधिक अतिरिक्त व्यय	
4.		किराया, दरें और कर					
5.		समाचार पत्र/पत्रिकाएं					
6.		विज्ञापन और प्रचार					
7.		डाक और तार					
8.		वर्दियां					
9.		स्टेशनरी और मुद्रण (i) स्टेशनरी (ii) मुद्रण					
10.		प्रकाशन					
11.		विविध और अन्य खर्च					
12.		बिजली और पानी का खर्च					

13. मरम्मत और अनुरक्षण
 (i) भवन
 (ii) मशीनरी और उपस्कर
 (iii) फर्नीचर और फिक्सर
 (iv) वाहन
14. पेट्रोल और ल्यूब्रिकेन्ट्स
15. आतिथ्य खर्च
16. लेखा परीक्षा शुल्क
17. विधिक प्रभार

भविष्य निधि और अन्य अंशदान

1. पेंशन ओर ग्रेच्युटी
 (प्रतिबद्ध पेंशन के मूल्य सहित)
2. जी.पी.एफ. में अंशदान
3. जमा सम्बन्धी बीमा स्कीम
4. सी.पी.एफ. पर ब्याज
5. जी.पी.एफ. पर ब्याज
6. समूह बीमा स्कीम
 (i) बीमा निधि
 (ii) बचत निधि
 (iii)
7. अवकाश वेतन और पेंशन
 अंशदान
- II. अनावर्ती

खर्च के अतिरिक्त बची आय

	कुल योग			
--	---------	--	--	--

सचिव

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग के दिनांक 31 मार्च 200..... की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

देयता	राशि (रूपए)	सम्पत्ति	राशि (रूपए)
पूँजी समिति फंड	अनुसूची 1	नियत सम्पत्ति निवेश	अनुसूची क अनुसूची ख
खर्च के अतिरिक्त बीच आय	अनुसूची 2		
देयता और प्रेषण प्रावधान	अनुसूची 3	आकस्मिक अग्रिम और अन्य ऋण तथा अग्रिम जमा प्रोविडेंट फंड इत्यादि	अनुसूची ग अनुसूची घ अनुसूची ड.
विभिन्न ऋणदाता और अन्य देयताएं	अनुसूची 5	विभिन्न कर्जदार प्रारम्भिक शेष रोकड़ शेष बैंक में रोकड़ शेष	अनुसूची च

सचिव

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग
अनुसूची 1 - पूँजीगत सम्पत्ति निधि

क्रम संख्या शेष	विवरण	प्रारंभिक शेष	वृद्धि	बढ़ते खाते की राशि	समाप्त
1.	भूमि				
2.	भवन				
3.	फर्नीचर और फिक्सर				
4.	मशीनरी और उपस्कर				
5.	मोटर वाहन				
6.	पुस्तकें और प्रकाशन				
7.	दान और चंदे में प्राप्त सम्पत्तियां				
8.	अन्य (विनिर्दिष्ट की जानी है)				
कुल					

सचिव

147562/06-2

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग
अनुसूची-2 खर्च के अतिरिक्त बची आय

क्रम संख्या	विवरण	राशि
1.	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	
2.	खर्च के अतिरिक्त शेष बची आय/आय से अधिक खर्च	
कुल		

सचिव

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग
अनुसूची-3 - प्रेषण

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष	के अतिरिक्त	भेजी हुई रकम	अंतशेष
1	2	3	4	5	6

1. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि आदि
2. लाइसेंस शुल्क
3. आय कर
4. बिक्री कर
5. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
6. डाक जीवन बीमा
7. केन्द्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा स्कीम
8. ऋण तथा अग्रिमों की उगाही(भुगतान एवं लेखा कार्यालय बही का समायोजन)
9. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)

कुल	
-----	--

सचिव

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग
अनुसूची-4 - भविष्य निधि आदि

क.सं.	विवरण	राशि	राशि
-------	-------	------	------

क.

1. एन.सी.एम.ई.आई. भविष्य निधि

1. प्रारंभिक शेष
 2. चंदा
 3. अग्रिम राशि की उगाही
 4. ब्याज
- कुल

अग्रिम/अंतिम भुगतान/निवेश

ख. एन.सी.एम.ई.आई. कर्मचारी समूह बीमा स्कीम निधि

क बचत निधि

1. प्रारंभिक शेष
 2. चंदा
 3. ब्याज
- कुल

भुगतान/निवेश

ख बीमा निधि

1. प्रारंभिक शेष
 2. चंदा
 3. ब्याज
- कुल

भुगतान/निवेश

ग. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ निधि

1. प्रारंभिक शेष
 2. पेंशन निधि
 3. सेवानिवृत्ति लाभ निधि
 4. ब्याज
- कुल

भुगतान/निवेश

कुल योग:

--	--

सचिव

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग
अनुसूची-5 विविध लेनदार/अन्य देयताएं

क.सं. अंतशेष	विवरण	प्रारंभिक शेष	के अतिरिक्त	पुनर्भुगतान
1	प्रतिभूति जमा			
2	बयाना राशि जमा			
3	विविध लेनदान			
4	विविध देयताएं (अभिनिर्धारित किया जाना है)			
	कुल:			

सचिव

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग
अनुसूची-क- अचल परिसंपत्तियां

क.सं. अंतशेष	विवरण	प्रारंभिक शेष	के अतिरिक्त	पुनर्भुगतान
1.	भूखंड			
2.	भवन			
3.	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स			
4.	मशीनरी तथा उपस्कर			
5.	मोटर वाहन			
6.	पुस्तकें तथा प्रकाशनें			
7.	पुरस्कार स्वरूप/दान में दी गई संपत्तियां			
8.	अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)			
	कुल:			

सचिव

**राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग
अनुसूची-ख- निवेश**

क.सं.	विवरण	राशि
1.	बैंक में सावधिक जमा (क) प्रारंभिक शेष (ख) किया गया निवेश (ग) नकदीकृत निवेश (घ) अंतशेष	
2.	राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों/अन्य प्रतिभूतियों में निवेश (विनिर्दिष्ट किया जाना है) (क) प्रारंभिक शेष (ख) किया गया निवेश (ग) नकदीकृत निवेश (घ) अंतशेष	
	कुल योग (1 (घ) + 2 (घ))	

सचिव

**राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग
अनुसूची-ग- आकस्मिक तथा अन्य ऋण एवं अग्रिम**

क.सं. अंतशेष	विवरण	प्रारंभिक शेष	के अतिरिक्त	पुनर्भुगतान
क.	आकस्मिक अग्रिम (क) सी.पी.डब्ल्यूडी. को अग्रिम (ख) डी जी एस एंड डी को अग्रिम (ग) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (घ) अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट किया जाना है)			
ख.	कर्मचारियों को अग्रिम (क) गृह निर्माण अग्रिम (ख) मोटर कार/कम्प्यूटर अग्रिम (ग) स्कूटर/मोटर साइकिल अग्रिम (घ) अन्य अग्रिम			
ग.	अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट किया जाना है)			
	कुल:			

सचिव

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग
अनुसूची-घ- जमा राशि

क.सं. अंतशेष	विवरण	प्रारंभिक शेष	के अतिरिक्त	वापसी
1.	प्रतिभूति जमा			
2.	बायाना राशि जमा			
	कुल			

सचिव

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग
अनुसूची-ड.-भविष्य निधि

क.सं.	विवरण	राशि
क.	एन.सी.एम.ई.आई. भविष्य निधि प्रारंभिक शेष और वर्ष के दौरान किए गए निवेश घटा: नकदीकृत निवेश शेष राशि	
ख.	एन.सी.एम.ई.आई. कर्मचारी समूह बीमा योजना	
	(i) बचत निधि	
	प्रारंभिक शेष	
	जोड: वर्ष के दौरान किए गए निवेश	
	घटा : नकदीकृत निवेश शेष राशि	
	(ii) बीमा निधि प्रारंभिक शेष	
	जोड: वर्ष के दौरान किए गए निवेश	
	घटा : नकदीकृत निवेश शेष राशि	
	कुल	

सचिव

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग
अनुसूची-च- विविध देनदार

क्र.सं. अंतशेष	विवरण	प्रारंभिक शेष	के अतिरिक्त	समायोजन
-------------------	-------	---------------	-------------	---------

क.

ख.

ग.

घ.

	कुल			
--	-----	--	--	--

सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(Department of Secondary and Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2006

G.S.R. 286(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1), read with clause (c) of Sub-section (2), of Section 24 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (2 of 2005), and in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as required under Sub-section (1) of Section 15 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the National Commission for Minority Educational Institutions (Annual Statement of Accounts) Rules, 2006.
(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions:— In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (2 of 2005);

- (b) "Audit Officer" means the Comptroller and Auditor-General of India or any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Commission;
 - (c) "Chairman" means the Chairman of the National Commission for Minority Educational Institutions;
 - (d) "Commission" means the National Commission for Minority Educational Institutions constituted under section 3;
 - (e) "Form" means a form appended to these rules;
 - (f) "Secretary" means the Officer appointed by the Central Government under sub-section(1) of section 6;
 - (g) "Section" means a section of the Act;
 - (h) Words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.
3. Accounts of the Commission – (1) The annual statement of accounts of the Commission for every financial year beginning with the financial year 2004-2005 shall be prepared by the Secretary.
- (2) The annual statement of accounts duly approved by the Commission shall be submitted by the Secretary to the Central Government by such date as may be specified by the Central Government.
 - (3) The Secretary shall supervise the maintenance of the accounts of the Commission, the compilation of financial statement and return and shall also ensure that all accounts, books, connected vouchers and other documents and papers of the Commission required by the Audit Officer for the purpose of auditing the accounts of the Commission are placed at the disposal of that officer.
 - (4) The accounts of the Commission including initial accounts shall be maintained in Form 'A' and the Schedules thereto.
 - (5) The annual statements of accounts shall be signed and authenticated by the Secretary.
 - (6) The annual statement of accounts shall be submitted to the Audit Officer on or before the 30th June following the year to which the accounts relate, and the Audit Officer shall audit the accounts of the Commission and report thereon.
 - (7) The Commission shall, within thirty days of receipt of Audit Report, remedy any defect or irregularity pointed out therein and report to the Central Government and the Audit Officer about the action taken by it thereon.

[F. No. 7-12/2005-MC]
SUNIL KUMAR, Jt. Secy.

Form - A
{See Rule's 3 (4) }
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ACCOUNTS OF THE COMMISSION
Receipt and Payment Account (1) of the National Commission for Minority Educational
Institutions for the year ended 31st March, 200

Receipt	Plan	Non-Plan	Total Amount (Rupees)	Payment	Plan	Non-Plan	Total Amount (Rupees)
1. Opening Balance				I. Recurring			
(i) Cash in hand				(A) Establishment Charges			
(ii) Cash at Bank				1. Salaries			
2. Grants-in-aid from				(Chairperson & Member Commission)			
(i) Ministry of Home Affairs (to be specified)				2. Salaries (Officers & Establishment)			
Recurring				3. Payment for professional and other Services			
Non-Recurring				4. Travel Expenses			
(ii) Other sources				(i) Foreign Travels			
Recurring				(ii) Domestic Travels			
Non-Recurring				5. Overtime allowances			
3. Receipts of the commission				6. Medial & health care facilities			
I. Recurring				7. Other Establishment Charges			
(i) Investments				B. Administrative and Other Expenses			
(a) Face Value of investments encashed				1. Seminar/Conference Charges			
(b) Interest on investment				2. Assistance/grants to other Organisaitons			
(ii) Revenue Receipts				3. Telephone & Fax Expenses			
(a) interest receipts on cash at bank				4. Rents, Rates & Taxes			
(b) Interest receipts on advances to employees				5. Newspaper/periodicals			
(c) Sale of Publications				6. Advertisement & Publicity			
(d) Fees charged by the Commission				7. Postage & Telegram			
(e) Contribution of medical & health care beneficiaries				8. Liveries			
(f) Miscellaneous receipts				9. Stationery & Printing			
(iii) Debt/Deposit receipts				(i) Stationery			
(a) Recovery of Advances to Staff				(ii) Printing			
1. House Building Advance				10. Publications			
2. Motor Car/Personal Computer Advance				11. Misc. & other expenses			
3. Scooter/Motor cycle Advance				12. Water & Electricity charges			
4. Other Advances (to be specified)				13. Repair & Maintenance			
(b) Recovery of Contingent Advances				(i) Building			
1. Advances to CPWD				(ii) Machinery & equipment			
2. Advances to DGS&D				(iii) Furniture & fixtures			
3. Advances to Suppliers				(iv) Vehicles			
4. Other Advances				14. Petrol & Lubricants			
(c) Other Deposits							

Receipt	Plan	Non-Plan	Total Amount (Rupees)	Payment	Plan	Non-Plan	Total Amount (Rupees)
1. Security Deposit				15. Hospitality expenses			
2. Earnest Money Deposit				16. Audit fees			
3. Any other deposit (to be specified)				17. Legal charges			
(iv) Remittance Receipts				C. Investments			
(a) Recoveries from deputationists				D. Advances to Staff			
(b) Licence Fee				1. House Building Advance			
(c) Income Tax				2. Motor Car/Personal Computer Advance			
(d) Sales Tax				3. Scooter/Motor cycle Advance			
(e) Central Govt. Health Scheme				4. Other Advances (to be specified)			
(f) Postal Life Insurance				E. Contingent Advances			
(g) Central Govt. Employees Group Insurance Scheme				1. Advances to CPWD			
				2. Advances to DGS&D			
				3. Advances to Supplies			
				4. Other Advances (to be specified)			
				F. Deposits			
				1. Security Deposit			
				2. Earnest Money Deposit			
II. Non-Recurring (Items to be specified)				G. Other Adjustments (Remittances)			
				1. GPF/CPF etc. recovered from Deputationists			
				2. Licence Fee			
				3. Income Tax			
				4. Sales Tax			
				5. Central Govt. Health Scheme			
				6. Postal Life Insurance			
				7. CGEIS			
				8. House building advance			
				9. Motor car/computer advances			
				10. Scooter/motor cycle advances			
				11. Other recoveries (to be specified)			
				H. Contributions			
				1. Pension & gratuities			
				2. Leave Salary & Pension Contributions			
				1. Other contribution (to be specified)			
				I. Non-recurring			
				1. Land			
				2. Buildings			
				3. Furniture & Fixtures			
				4. Machinery & Equipment			
				5. Motor Vehicles			
				6. Books & Publications			
				Closing Balance			
				1. Cash in hand			
				2. Cash in Bank			
Grand Total							

**NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ACCOUNTS OF THE COMMISSION**

Receipt and Payment Account (II) Provident Fund Insurance Scheme Etc.
For the period ended 31st March, 200

Receipt	Amount (rupees)	Payments	Amount (rupees)
NCMEI PROVIDENT FUND		A. NCMEI PROVIDENT FUND	
(a) Opening Balance		(a) Advance/withdrawal/final payment	
(b) Subscription		(b) Investment of Balance	
(c) Recovery of Advance		(c) Closing Balance – Cash at Bank	
(d) Interest			
NCMEI EMPLOYEES GROUP INSURANCE FUND		B. NCMEI EMPLOYEES INSURANCE SCHEME FUND	
(a) Opening Balance		(a) Payment for Insurance Cover	
(b) Insurance Fund		(b) Payment of Saving Fund	
(c) Saving Fund		(c) Investments	
		(d) Closing Balance – Cash at Bank	
PENSION & OTHER RETIREMENT BENEFIT FUND		C. PENSION & OTHER RETIREMENT BENEFIT FUND	
(a) Opening Balance		(a) Opening Balance	
(b) Pension Fund		(b) Pension Fund	
(c) Other Retirement Benefit Fund		(c) Other Retirement Benefit Fund	
		(d) Closing Balance	
Total			

Secretary

**NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDING MARCH 20.....**

Expenditure	Plan	Non Plan	Total (Amount Rupees)	Income	Plan	Non Plan	Total (Amount Rupees)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Recurring							
A. ESTABLISHMENT CHARGES							
1. Salaries (Chairperson and Members of the Commission)							
2. Salaries (Officers and Establishment)							
3. Payment for Professional and other services							
4. Travel Expenses							
(i) Foreign Travels							
(ii) Domestic Travels							
5. Over Time Allowance							
6. Medical & Health care facilities							
7. other establishment charges							
B. ADMINISTRATIVE & OTHER EXPENSES							
1. Seminar/Conference Charge							
2. Assistance/grants to other organizations							
3. Telephone & Fax Expenses							
4. Rent, Rates & Taxes							
5. Newspaper/Periodicals							
6. Advertisement & Publicity							
7. Postage & Telegram							
8. Liveries							
9. Stationery & Printing							
(i) Stationery							
(ii) Printing							
10. Publications							
11. Misc. & other office expenses							
12. Water & Electricity Charges							
13. Repair and Maintenance							
(i) Building							
(ii) Machinery & Equipment							
(iii) Furniture & fixture							
(iv) Vehicle							
14. Petrol & Lubricates							
15. Hospitality expenses							
16. Audit Fees							
17. Legal charges							
A. GRANT-IN-AID FROM							
(i) Min. of HRD, Deptt. Of Sec. & Hr. Education							
Recurring							
Non-recurring							
(ii) Other sources (to be specified)							
Recurring							
Non-recurring							
B. RECEIPT ON ACCOUNT OF							
(i) Interest of Investments							
(ii) Interest on cash at bank							
(iii) Interest of Advances to Employees							
C. OTHER RECEIPTS							
(i) Fees, if any, charged by the Commission							
(ii) Sale of newspapers publications							
(iii) Miscellaneous receipts							
(iv) Medical Health Care facilities							
EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME							

PROVIDENT FUNDS & OTHER
CONTRIBUTIONS

1. Pension & Gratuities
(Including committed
value of pension)
 2. Contribution to GPF
 3. Deposit Linked
Insurance Scheme
 4. Interest on CPF
 5. Interest of GPF
 6. Group Insurance Scheme
 - (i) Insurance Fund
 - (ii) Saving Fund
 7. Leave Salary & Pension
contributions
- II. NON RECURRING

EXCESS OF INCOME OVER
EXPENDITURE

Grand Total

Secretary

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 200

Liabilities	Amount (Rupees)	Assets	Amount (Rupees)
Capital Assets Fund	Schedule 1	Fixed Assets	Schedule A
Excess of Income over Expenditure	Schedule 2	Investments	Schedule B
Liabilities & Provisions		Contingent Advances and	
Remittances	Schedule 3	Other Loans and Advances	Schedule C Schedule D
Provident Funds etc.	Schedule 4	Deposits	Schedule E
Sundry creditors & Other liabilities	Schedule 5	Provident fund etc.	Schedule E
		Sundry Debtors	Schedule F
		Closing Balance	
		Cash in hand	
		Cash at bank	

Secretary

147562/06—4

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
SCHEDULE 1 – CAPITAL ASSETS FUND

S.No.	Description	Opening Balance	Additions	Amount written off	Closing
Balance					
1.	Land				
2.	Building				
3.	Furniture & Fixtures				
4.	Machinery & Equipment				
5.	Motor Vehicles				
6.	Books and Publications				
7.	Gifted/Donated Assets				
8.	Others (to be specified)				
<hr/>					
Total					

Secretary

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
SCHEDULE 2 – EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE

S. No.	Description	Amount
1.	Balance as per last Balance Sheet	
2.	Excess of Income over Expenditure/ Excess of expenditure over Income	
<hr/>		
Total:		

Secretary

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
SCHEDULE 3 – REMITTANCES

S.No.	Description	Opening Balance	Additions	Amount remitted	Closing Balance
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	General Provident Fund etc. of staff on Deputation				
2.	Licence Fee				
3.	Income Tax				
4.	Sales Tax				
5.	Central Govt. Health Scheme				
6.	Postal Life Insurance				
7.	Central Govt. Employees Group Insurance Scheme				
8.	Recoveries of loans and advances (adjustment of book of PAOs)				
9.	Others (to be specified)				
<hr/>					
Total:					

Secretary

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
SCHEDULE 4 – PROVIDENT FUND ETC.

S. No.	Description	Amount	Amount
A.	NCMEI Provident Fund		
1.	Opening Balance		
2.	Subscription		
3.	Recovery of Advance		
4.	Interest		
	Total		
	Advance/Final Payment/Investments		
B.	NCMEI Employees Group Insurance Scheme Fund		
(a)	Saving Fund		
1.	Opening Balance		
2.	Subscription		
3.	Interest		
	Total		
	Payment/Investments		
(b)	Insurance Fund		
1.	Opening Balance		
2.	Subscription		
3.	Interest		
	Total		
	Payments/Investments		
C.	Pension & other Retirement Benefits Fund		
1.	Opening Balance		
2.	Pension Fund		
3.	Retirement Benefit fund		
4.	Interest		
	Total		
	Payments/Investments		
Grand Total:			

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
SCHEDULE 5 - SUNDRY CREDITORS/OTHER LIABILITIES

S.No.	Description	Opening	Additions	Repayments
Closing		Balance		
Balance				
1.	Security Deposit			
2.	Earnest Money Deposit			
3.	Sundry Creditors			
4.	Other Liabilities (to be specified)			
Total:				

Secretary

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
SCHEDULE A - FIXED ASSETS

S.No.	Description	Opening	Additions	Amount
Closing		Balance		
Balance				
1.	Land			
2.	Building			
3.	Furniture & Fixtures			
4.	Machinery & Equipment			
5.	Motor vehicles			
6.	Books and publications			
7.	Gifted/Donated Assets			
8.	Others (to be specified)			
Total				

SECRETARY

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
SCHEDULE B – INVESTMENTS

S.No.	Details	Amount
1.	Fixed Deposits with – Bank	
	(a) Opening Balance	
	(b) Investments made	
	(c) Investments Encashed	
	(d) Closing Balance	
2.	Investments in National Saving Certificates/Other Securities (to be specified)	
	(a) Opening Balance	
	(b) Investments made	
	(c) Investments Encashed	
	(d) Closing Balance	
Total Balance {1(d) + 2(d)}		

SECRETARY

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
SCHEDULE C – CONTINGENT & OTHER LOANS AND ADVANCES

S.No.	Description	Opening	Additions	Recoveries &
	Closing			
	Balance	Balance		adjustment
A.	Contingent Advance			
	(a) Advances to CPWD			
	(b) Advances to DGS&D			
	(c) Advances to Suppliers			
	(d) Other advances (to be specified)			
B.	Advances to Employees			
	(a) House Building Advances			
	(b) Motor car/Computer advance			
	(c) Scooter/Motor Cycle Advance			
	(d) Other Advances			
C.	Other Advances (to be specified)			
Total				

SECRETARY

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
SCHEDULE D – DEPOSITS

S.No.	Description	Opening	Additions	Refunds
	Closing			
	Balance	Balance		
1.	Security Deposit			
2.	Earnest Money Deposit			
Total				

SECRETARY

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
SCHEDULE E – PROVIDENT FUND

S.No.	Description	Amount
A.	NCMEI Provident Fund	
	Opening Balance	
	And Investments made during The year	
	Less: Investments encashed	
	Balance Amount	
B.	NCMEI Employees Group	
	Insurance Scheme	
	(i) Saving Fund	
	Opening Balance	
	Add: Investments made during the year	
	Less: Investments encashed	
	Balance Amount	
	(ii) Insurance Fund	
	Opening Balance	
	Add: Investments made during the year	
	Less: Investments encashed	
	Balance Amount	
Total		

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
SCHEDULE F – SUNDRY DEBTORS

S.No.	Description	Opening	Additions	Adjustment
	Closing	Balance		
	Balance			
A.				
B.				
C.				
D.				
Total				

SECRETARY